

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3340
उत्तर देने की तारीख 12.03.2026

जनजातीय कल्याण योजनाओं की स्थिति

†3340. श्री मनोज कुमार:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013-14 से 2025-26 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों और आवंटित एवं उपयोग की गई निधि का योजना वार और वर्ष वार ब्यौरा क्या है और जारी एवं उपयोग की गई केंद्रीय और राज्य हिस्सेदारी का विशेषकर बिहार के सासाराम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोहतास और कैमूर जिलों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का मौजूदा योजना दिशानिर्देशों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में, का संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों और जारी किए गए दिशानिर्देशों का योजना -वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना दिशानिर्देशों के संशोधन के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा, विशेषकर बिहार राज्य में, प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा योजना दिशानिर्देशों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अनुसूचित जनजाति समुदायों में विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): सरकार बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच

विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ-साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 ख में लिंक <https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf> में दी गई हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों में से टीएसपी के लिए किए गए आवंटन और व्यय का विवरण <https://statetsp.tribal.gov.in> पर उपलब्ध है।

मंत्रालय द्वारा 2013-14 से 2025-26 के दौरान अलग-अलग स्कीमों के तहत दिए गए/जारी की गई राशि, इस्तेमाल की गई राशि और लभार्थी की संख्या की राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक 1** में दी गई है।

बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष	स्वीकृत	उपयोग की गई राशि
1	अनुच्छेद-275(1)	2016-17	1467.59	1433.89
2		2017-18	991.89	654.63
3		2021-22	642.08	642.08
4		2022-23	1001.01	444.9
5		2023-24	871.24	752.765
6		2024-25	524	523.62
7		2025-26	1230.57	102.84
1	टीएसएस को एससीए	2016-17	1368.26	1231.91
2		2017-18	743.74	603.72
1	पीवीटीजी	2016-17	342.865	375.7
2		2017-18	295.91	
1	पीएम-जनमन	2025-26	210	0
1	डीए-जेजीयूए	2025-26	682.28	0
1	टीआरआई	2025-26	103.07	0

मंत्रालय ने आगामी ईएफसी चक्र के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। उनकी गाइडलाइंस में बदलाव का फैसला, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल द्वारा ईएफसी की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

(घ) से (ड): केंद्र सरकार ने योजनाओं के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों में विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के समन्वय से योजनाओं की नियमित निगरानी और समीक्षा की जाती है और प्रभावी कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) जनजातीय विकास पहलों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत आवंटन की प्रभावी निगरानी के लिए, मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजना/कार्यक्रम-वार आवंटन को केंद्रीय बजट के विवरण 10ख में दर्शाया गया है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय-वार आवंटन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विवरण 10खख और विवरण 10खखख क्रमशः पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए आवंटन संबंधी समर्पित जानकारी प्रदान करते हैं। उचित जवाबदेही और निधियों के गैर विचलन (विपथन) को रोकने के लिए, मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों की विस्तृत मांगों में डीएपीएसटी के तहत आवंटन लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (<https://stcmis.gov.in>) विकसित की गई है। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा प्राप्त करती है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए आवंटन के सापेक्ष व्यय की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मौजूद इंटरैक्टिव डैशबोर्ड वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके मंत्रालय-वार और उपाय-वार प्रगति की निगरानी प्रदान करते हैं, जिससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए लक्षित योजना और अंतर विश्लेषण संभव हो पाता है।

जागरूकता उत्पन्न करने और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, बड़े स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान, सेवा वितरण शिविर, ग्राम सभा बैठकें और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और धरती आबा जनभागीदारी अभियान जैसी पहलें जनजातीय क्षेत्रों में शिविरों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवा वितरण और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। आदि कर्मयोगी जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी जनजातीय विकास कार्यक्रमों में शामिल अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करने और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए दो मिशन अर्थात् प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं।

पीएम जनमन: सरकार ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाले 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है, जिनमें छात्रावास और सचल चिकित्सा इकाई (एमएमयू) शामिल हैं। पीएम-जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 8768 करोड़ रुपये)।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे की अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना आदि है। इस अभियान से 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को 5 वर्षों की अवधि में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

4	असम	2.1 2	2.12	12 25 5	0.0 0	0.00 0	0 0	0.00 0	0 0	3.2 1	3.21	27 40 0	0.0 0	0.00 0	10 04 0	0.00 0	0.00 0	12 93 3	0.00 0	0.00 0	28 69	0.17 0	0.17	25 04	1.02 0	1.02	47 67	1.07 0	1.07	56 88	1.88 0	1.88	43 53	1.00 0	1.00	80 75			
5	बिहार	0.0 0	0.00 0	6.8 9	6.89 70 0	40 3.7 5	3.75 09 5	37 0	0.0 0	0.00 0	0 0	0.0 0	0.00 0	67 11 5	0.00 0	0.00 0	46 09 6	71.3 1	71.3 1	46 09 6	0.00 0	0.00 0	51 07 6	0.00 0	0.00	42 42 5			26 45 0			84 51			15 13 9		1682 0		
6	छत्तीसगढ़	0.0 0	0.00 0	37. 18	37.1 8	22 86 26	36. 07 7	36.0 57 05	22 34	25. 4	25.3 79 56	20 18. 05	18. 5	19 18 64	47.5 6	47.5 6	19 44 13	47.9 7	47.9 7	14 39 86	35.4 2	35.4 2	13 24 21	0.00 0	0.00	12 96 15			28 64 2	52.5 0	52.5 0	44 83 7			27 17 1		3947 6		
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव																					2.34 2.34	27 60	2.07 2.07	21 67			20 17			12 73			11 62					
8	दादर एवं नगर हवेली	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	0 0	0.00 0	0 0	0.0 0	0.00 0	0 0	0.0 0	0.00 0	52 26	0.20 0	0.20	43 99	0.38 0	0.38	50 44																			
9	दमन और दीव	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	0 0	0.00 0	0 0	0.0 0	0.00 0	35 6	0.0 8	0.08 8	46 8	0.00 0	0.00	33 2	0.06 0	0.06	37 7																			
10	गोवा	0.1 4	0.14	17 28	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	0.5 3	0.53	37 21 4	0.0 0.04	0.04	36 40	0.81 0	0.81	35 82	0.81 0	0.81	33 32	0.41 0	0.41	25 04	0.00 0	0.00	19 78	1.08 0	1.08	21 08	0.53 0	0.53	16 70	0.36 0	0.36	16 98				
11	गुजरात	28. 35	28.3 5	26 51 68	37. 50	37.5 91 69	17 46 6	37. 6	13 84 65	0.8 1	0.81	18 85 93	36. 51 1	36.5 11 13	15 44.8 2	44.8 2	12 44 8	52.4 8	52.4 8	18 01 9	21.9 9	21.9	16 66 49	36.8 9	36.8	15 77 14	54.5 2	54.5	15 75 53	62.0 0	62.0	12 10 83	9.23 0	9.23	12 48 86				
12	हिमाचल प्र देश	0.4 6	0.46	21 24	0.7 3	0.73 96	39 6	0.9 6	0.96 98	57 1	0.5 0.51	19 72	0.0 0	0.00 0	17 05	0.39 0	0.39	35 82	0.84 0	0.84	27 09	0.92 0	0.92	18 46	0.00 0	0.00	21 60	0.79 0	0.79	24 79	1.10 0	1.10	26 16			32 60	0.93	3520	
13	जम्मू और कश्मीर	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	7.0 0	7.00 81	37 0	0.0 0	0.00 0	61 31	0.0 0	0.00 0	49 79	0.00 0	0.00	25 92	0.00 0	0.00	13 62	0.00 0	0.00	26 21	0.00 0	0.00	58 83			46 89			25 48			83 71		1297 4		
14	झारखंड	0.0 0	0.00 0	16. 13	16.1 3	93 53 3	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	92 74 3	17. 05	17.0 5	10 49 42	23.4 6	23.4 6	11 98 77	15.1 4	15.1 4	10 67 61	0.00 0	0.00	87 13 1	38.9 9	38.9	13 68 30			12 92 69	57.0 0	57.0	11 45 19			12 91 42				
15	कर्नाटक	33. 20	33.2 0	84 68 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.00 0	52 09 6	13. 65	13.6 5	59 44 8	12.5 6	12.5 6	62 12 6	18.4 7	18.4 7	87 36 4	0.00 0	0.00	92 25 4	17.5 3	17.5	85 55 4	23.7 0	23.7	98 70 5	34.0 0	34.0	97 19	7.00 0	7.00	10 42 11	29.40	1093 65		

16	केरल	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	3.0	3.00	30	7.9	7.96	14	0.0	0.00	14	3.09	3.09	12	2.87	2.87	78	1.17	1.17	98	3.47	3.47	70			94	4.36	4.36	83	1.00	1.00	10			
		0		0	0		0	0		01	6	4	0			26			1			58			80			71			57			31			98			
17	लद्दाख																						0.42	0.42	42	0.74	0.74	14			76			22	0.40	0.40	20	1.00	2207	
																									1			39			0			28			29			
18	मध्य प्रदेश	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	43.00	43.00	36	0.0	0.00	15	55.16	55.39	36	58.84	58.84	35	76.99	76.99	31	54.29	54.29	37	114.58	114.58	32	127.44	127.44	25			25	53.05	53.05	21	75.87	2601	
		0		0	0		0	0		41	0	11	39	20		21	4	4	90	9	9	88	9	9	81	58	58	89	44	44	59			99	5	5	23		18	
										67						20			92			70			27			61			44			97			47			
19	महाराष्ट्र*	0.0	0.00	0																																				
20	मणिपुर	7.3	7.30	27	4.9	4.96	40	0.0	0.00	0	8.6	8.67	22	6.1	6.19	91	7.73	7.73	21	4.43	4.43	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00	23			18			34			39			
		0		11	6	6	12	0		7		1	40	9	89				6			76			79			65			36			70			16			
21	मेघालय	2.9	2.97	10	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	0.0	0.00	32	1.5	1.57	96	0.00	0.00	15	0.00	0.00	13	0.00	0.00	61	0.00	0.00	24	1.15	1.15	15			55	0.70	0.70	61	5.06	8742	
		7		70	0	0	0	0		0		73	7	6		0		0			6			6			06			88			90			49				
22	मिजोरम	1.2	1.23	32	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	3.3	3.36	98	1.3	1.32	97	3.20	3.20	14	7.02	7.02	16	1.68	1.68	11	6.57	6.57	10			10	3.07	3.07	89			88	4.76	9300	
		3		83	0	0	0	0		6		43	2	83					88			89			04			03			31			11			07			
23	नागालैंड	0.0	0.00	0	0.0	0.00	0	8.5	8.51	42	0.0	0.00	18	0.0	0.00	10	0.00	0.00	12	0.00	0.00	12	0.61	0.61	45	0.00	0.00	30			0									
		0		0	0	0	1	8	8	04	0	78	0	71	5				55			91			1			7												
24	ओडिशा	56.01	56.01	22	45.11	45.11	20	49.00	49.00	22	33.76	33.76	22	51.28	51.35	21	66.66	66.66	20	61.58	61.58	21	69.45	69.45	19	52.37	52.37	13	93.97	93.97	79			10	29.50	29.50	12	43.55	1258	
		1		17	1	1	33	00	0	12	76	6	28	35	5	14	6	6	49	8	8	98	5	5	00	7	7	50	7	7	25			66	0	0	20		32	
				09			01			43		37		25		16			16			75			66			53			2			91			29			
25	पुदुचेरी																			0.00	0.00	60	0.02	0.02	19	0.00	0.00	23			21			11			14			
26	राजस्थान	47.93	47.93	21	23.83	23.83	18	0.075	0.075	0	0.0	0.00	0	32.85	32.85	10	17.16	17.16	13	53.47	53.47	18	31.27	31.27	20	62.34	62.34	21	35.31	35.31	73			76	22.36	22.36	57		5988	
		3		30	3	3	75	0	0	0			85	5	16	6	6	69	7	7	41	7	7	87	4	4	30	1	1	81			27	6	6	03		8		
				02			08							96		96			15			63			51			64			6			2			7			
27	सिक्किम	0.0	0.00	0	0.0	0.08	40	0.0	0.00	0	0.0	0.00	29	0.2	0.26	21	0.08	0.08	24	0.04	0.04	41	0.09	0.09	88	0.00	0.00	29	0.18	0.18	49			62			37	0.20	509	
		0		8	8	8	0	0		0		7	6	2		2			7			5			88			6			49					7				

1	जम्मू और कश्मीर	1.77	1.77	1870	24.94	24.94	8925	24.94	2100	25.88	25.88	1385	23.23	23.23	1690	6.38	6.38	2790	10.48	10.48	1068	8.05	8.05	4316			8335	6.84	6.84	1043	7.46	7.46	7319	9.95	9.95	1530	14.99	23159
1	झारखंड	32.67	32.67	7287	49.27	49.27	8176	0.00	0.00	81.48	81.48	8242	27.17	27.17	7338	52.81	52.81	7678	78.63	78.63	7982	0.00	0.00	9211	126.55	126.55	1272			1476	53.11	53.11	1486	200.00	200.00	6510		165000
1	कर्नाटक	33.41	33.41	1323	36.91	36.91	1349	58.39	58.39	85.40	85.40	1099	88.73	88.73	1010	73.41	73.41	1116	150.03	150.03	1180	0.00	0.00	1123	170.81	170.81	1334			1319	225.56	225.56	1237	125.00	125.00	1258	147.68	132874
1	केरल	6.26	6.26	1270	6.47	6.47	1322	0.00	0.00	31.22	31.22	1583	27.45	27.45	1611	26.74	26.74	1624	16.42	16.42	1658	32.85	32.85	1582	25.16	25.16	1455			1486	46.89	46.89	1373	29.00	29.00	1303	62.36	13509
1	लद्दाख	0.00	0.00																			7.38	7.38	3055	22.14	22.14	8631	18.91	18.91	8619	5.96	5.96	9413	35.00	35.00	8969	35.0890	10215
1	मध्य प्रदेश	52.77	52.77	1924	23.85	23.85	1881	30.65	30.65	130.54	130.54	2631	103.21	103.21	2727	134.05	134.05	2890	121.99	121.99	2441	123.44	123.44	3460	245.29	245.29	4578	270.49	270.49	3913	350.00	350.00	3534	250.00	250.00	3264	343.70	710910
1	महाराष्ट्र	119.96	119.96	1781	74.52	74.52	1175	52.10	52.10	220.92	220.92	1633	108.85	108.85	1472	152.38	152.38	1310	155.75	155.75	1395	181.50	181.50	1575	192.15	192.15	1307	90.27	90.27	1359	570.36	570.36	1391	117.81	117.81	1447	379.10	146554
2	मणिपुर	61.11	61.11	5396	36.15	36.15	5788	35.88	35.88	6692	66.92	63.85	63.83	5966	20.27	20.27	2264	62.36	62.36	3096	21.84	21.84	3725	42.92	42.92	4779	41.38	41.38	4257	30.00	30.00	3354	25.00	25.00	325	27.07	37116	
2	मेघालय	34.38	34.38	7901	4.38	4.38	7901	32.75	32.75	31.89	31.89	5490	7.71	7.71	3530	24.58	24.58	634	0.00	0.00	6159	0.00	0.00	1639	26.36	26.36	5259	146.20	146.20	6136	85.00	85.00	7675	145.08	145.08	7390	236.01	81292
2	मिजोरम	53.94	53.94	5687	45.01	45.01	6241	49.28	49.28	42.68	42.68	4207	24.35	24.35	5198	35.28	35.28	4794	44.16	44.16	3817	34.47	34.47	3307	38.75	38.75	3744	25.90	25.90	3878	25.00	25.00	3168	24.00	24.00	2847	50.43	31254
2	नागालैंड	26.26	26.26	3986	23.30	23.30	4013	26.46	26.46	13.44	13.44	4445	25.15	25.15	2894	47.17	47.17	3838	32.69	32.69	4016	32.26	32.26	3694	44.36	44.36	4058	36.08	36.08	4063	35.00	35.00	4248	62.00	62.00	4179	23.10	48059
2	ओडिशा	34.60	34.60	8911	45.12	45.12	1309	40.50	40.50	155.56	155.56	1765	87.84	87.84	1858	148.02	148.02	1966	166.40	166.40	1715	190.96	190.96	1752	218.43	218.43	2076	171.33	171.33	2041	135.64	135.64	2139	294.00	294.00	2303	407.39	252391
2	पुदुचेरी	0.00	0.00																0.00	0.00	2323	0.20	0.20	2424			2318			1111	0.00	0.00	1010					
2	राजस्थान	22.16	22.16	2880	64.40	64.40	2462	108.90	108.90	98.06	98.06	1269	199.12	199.12	1355	135.99	135.99	2696	259.51	259.51	2866	255.57	255.57	2060	137.45	137.45	1886	188.10	188.10	2366	220.00	220.00	1685	350.00	350.00			164475
2	सिक्किम	8.45	8.45	2643	4.14	4.14	2705	4.00	4.00	9.38	9.38	2605	12.47	12.47	2962	11.34	11.34	4299	5.67	5.67	4431	5.54	5.54	3488	10.36	10.36	4233	9.25	9.25	2650			1849	6.00	6.00	2411	9.35	
2	तमिलनाडु	14.39	14.39	1109	0.44	0.44	1109	22.67	22.67	30.62	30.62	2357	24.40	24.40	2160	39.34	39.34	2962	50.25	50.25	2947	33.29	33.29	2138	48.49	48.49	2444	28.54	28.54	2352	20.00	20.00	2521	25.00	25.00	2827	26.33	31239

29	तेलंगाना	0.00	0.00	123.30	123.30	17.13	96.50	96.50	17.13	114.83	114.83	11.22	180.31	180.31	15.38	99.22	99.22	58.25	196.11	196.11	12.92	272.98	272.98	11.83	75.04	75.04	12.67	238.51	238.51	11.49	112.50	112.50	13.15	152.50	152.50	13.10			
30	त्रिपुरा	13.91	13.91	24.27	9.75	9.75	22.00	17.00	28.37	13.24	13.24	21.00	27.56	27.56	23.02	36.27	36.27	22.89	23.56	23.56	23.72	48.05	48.05	26.10	71.89	71.89	35.52	45.22	45.22	37.38	40.00	40.00	33.67	74.94	74.94	33.50	42.73	36855	
31	उत्तर प्रदेश	0.56	0.56	75.00	0.56	0.56	75.00	0.00	0.00	10.58	10.58	53.22	12.45	12.45	27.79	12.11	12.11	15.08	18.23	18.23	17.98	22.19	22.19	81.32			89.30			96.55	10.00	10.00	96.76	15.00	15.00	10.42			
32	उत्तराखंड	10.87	10.87	24.81	1.64	1.64	25.90	9.00	27.79	50.91	50.91	15.40	6.00	6.00	83.35	0.00	0.00	61.33	0.00	0.00	86.31	0.00	0.00	30.39	35.68	35.68	38.37			35.34	1.88	1.88	39.72	2.70	2.70	38.53	7.45	4429	
33	पश्चिम बंगाल	22.78	22.78	79.23	2.37	2.37	79.23	29.48	29.48	73.00	0.00	0.00	85.90	28.08	28.08	90.39	22.19	22.19	58.42	24.11	24.11	62.23	22.56	22.56	60.84	38.72	38.72	78.10			63.20	34.06	34.06	37.76	35.00	35.00	29.52		
	कुल	748.42	748.42	2034.98	720.98	720.98	2037.14	857.44	857.44	2055.68	1555.68	1870.73	1463.86	1463.86	1932.62	1646.98	1646.98	1967.66	1862.66	1862.66	2060.53	1829.08	1829.08	2069.80	2256.80	2256.80	2344.63	1964.63	1964.63	2269.69	2668.69	2668.69	2064.43	2598.34	2598.34	1816.29	2864.33	2384425	

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई निधियां और उसके उपयोग की रिपोर्ट निम्नानुसार है (लाख रुपये में):

क्र. सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई उपयोगिता
1.	आंध्र प्रदेश	2139.00	2139.00	5500.00	5500.00	2869.43	2869.43	4591.11	4591.11	6390.77	6390.77	8942.43	8942.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	1880.40	1880.40	3000.80	3000.80	6580.53	6580.53	8378.82	8378.82	12170.52	12170.52	13202.25	13202.25
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	844.12	844.12	0.00	0.00	3916.32	3916.32	10802.85	9927.80
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.58	1433.89	991.89	654.63	0.00	0	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10778.00	10778.00	11904.31	11904.31	10488.52	10488.52	10964.49	10964.49	11352.92	11352.92	22500.77	22500.77
6.	गोवा	0.00	0.00	400.00	400.00	450.00	367.79	103.00	103.00	345.66	345.66	0.00	0.00
7.	गुजरात	8592.45	8592.45	11680.00	11680.00	9739.02	9739.02	11384.08	11384.08	11240.2	11240.2	16833.88	16583.88
8.	हिमाचल प्रदेश	190.99	190.99	523.20	523.20	1595.87	1595.87	2074.70	2074.70	3378.16	3378.16	5314.70	5314.70
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	2000.00	2000.00	3539.66	3539.66	3049.06	3049.06	2051.79	2051.79	5410.00	5410.00
10.	झारखंड	9873.00	9873.00	12202.96	12202.96	9489.38	9489.38	12386.93	12386.93	7354.3	7354.3	11166.77	11166.77
11.	कर्नाटक	4880.40	4880.40	6300.00	6300.00	4664.00	4664.00	5881.74	5881.74	5220.61	5220.61	10435.46	10435.46

12.	केरल	748.94	748.94	1085.44	1085.44	695.58	695.58	803.17	803.17	472.28	472.28	633.29	633.29
13.	मध्य प्रदेश	1732.42	1732.42	1484.15	1484.15	1497.43	1497.43	2239.948	2239.948	2463.530	2463.530	4493.8.92	44178.97
14.	महाराष्ट्र	1170.29	1170.29	1337.4.00	1337.4.00	1153.6.53	1153.6.53	1386.2.24	1386.2.24	1701.5.91	1701.5.91	2313.6.7	13306.36
15.	मणिपुर	1600.01	1600.01	1216.00	1216.00	1694.40	1694.40	2308.80	2308.80	5367.65	5367.65	6151.91	5351.91
16.	मेघालय	2334.03	2334.03	1507.68	1507.68	1576.21	1576.21	3603.40	3603.40	5129.79	5129.79	4799.53	4799.53
17.	मिजोरम	1877.78	1877.78	3617.37	3617.37	1927.49	1927.49	2504.41	2504.41	3507.71	3507.71	6598.83	6598.83
18.	नागालैंड	2067.15	2067.15	5469.34	5469.34	6368.00	6368.00	4434.11	4434.11	9194.49	9194.49	6802.11	6802.11
19.	ओडिशा	1272.8.22	1272.8.22	1520.0.00	1520.0.00	1195.4.96	1195.4.96	1599.5.30	1599.5.30	2144.9.15	2144.9.15	1511.0.66	15110.66
20.	राजस्थान	9755.92	9755.92	1100.0.00	1100.0.00	1034.1.39	1034.1.39	1024.0.58	1024.0.58	1376.9.23	1376.9.23	1558.6.19	15586.19
21.	सिक्किम	370.30	370.30	1250.30	1250.30	1147.00	1147.00	405.30	405.30	355.34	355.34	3175.35	3175.35
22.	तमिलनाडु	639.60	639.60	852.80	852.80	798.24	798.24	378.00	378.00	773.57	773.57	6356.07	6276.12
23.	तेलंगाना	3894.40	3894.40	6090.00	6090.00	3608.05	3608.05	5015.32	5015.32	3248.89	3248.89	9973.28	9973.28
24.	त्रिपुरा	1218.99	1218.99	1600.68	1600.68	1280.99	1280.99	2040.99	2040.99	2006.73	2006.73	2952.63	2952.63
25.	उत्तराखण्ड	743.49	743.49	1514.74	1514.74	1138.62	1138.62	189.00	189.00	252.43	252.43	2760.71	2760.710
26.	उत्तर प्रदेश	1530.36	1530.36	92.02	92.02	0.00	0.00	1577.56	1577.56	1255.27	1255.27	428.37	428.37
27.	पश्चिम बंगाल	5747.00	5747.00	7000.00	7000.00	5814.37	5814.37	5376.51	5376.51	9235.73	9235.73	1212.7.17	12127.17
कुल		112613.14	112613.14	139226.79	139226.79	126581.37	126581.37	150939.9	150939.9	181498.72	181498.72	266140.83	253545.54

अनुलग्नक 1

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई निधियां और उसके उपयोग की रिपोर्ट निम्नानुसार है (लाख रुपये में):

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25*	
		जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	जारी की गई निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता
1.	आंध्र प्रदेश	2055.55	2055.55	2638.65	2555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9841.55	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6014.00	6014.00	9830.00	9830.00	7265.30	7265.30	6740.00	6705.74	1003.00	3025.00
3.	असम	4592.37	4033.345	2570.000	2392.33	2300.00	2011.69	3294.12	1978.52	4286.23	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	642.08	642.08	1001.01	818.91	871.24	614.88	524.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	9976.24	9976.24	11604.02	11604.02	13578.43	13562.43	15676.77	3524.39	14506.46	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	600.41	400.41	667.79	667.79	150.00	0.00	479.91	44.31
7.	गुजरात	5940.04	5637.87	6923.79	5091.71	7549.12	6037.65	4584.77	1667.04	2727.27	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1161.00	1297.00	1500.00	1383.91	1655.00	990.43	1696.45	456.95	2244.23	941.38
9.	झारखंड	10278.00	10278.00	12264.19	10715.62	6677.87	5642.87	14299.82	0.00	5147.06	0.00

10.	कर्नाट क	3305 .68	3305.68	3210 .00	3210.00	4297 .57	4297.57	4070 .00	377.56	4730 .26	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	817. 67	0.00	1910 .44	0.00	395. 81	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4279 .78	3689.47	5319 .10	3851.89	8438 .75	2751.16	1574 1.70	145.10	9183 .585	0.00
13.	महारा ष्ट्र	4573 .16	617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपु र	0.00	0.00	0.00	0.00	1067 .36	533.68	2456 .35	100.00	1981 .32	0.00
15.	मेघाल य	492. 71	492.71	1595 .25	1333.02	2904 .84	2353.65	3127 .29	1093.50	2217 .40	0.00
16.	मिजो रम	1909 .71	1909.71	2971 .54	2971.54	1654 .05	1654.05	2897 .97	1891.08	2143 .80	0.00
17.	नागा लैंड	1717 .38	1717.38	3202 .39	3202.39	5863 .47	5303.07	5020 .11	1614.60	2050 .50	0.00
18.	ओडि शा	6304 .62	6304.62	1138 2.05	11382.05	1015 0.55	10150.55	6870 .56	0.00	1010 7.95	0.00
19.	राज स्थान	9166 .00	9166.00	1043 5.21	9088.65	1100 2.53	6592.23	8940 .07	5385.04	4626 .61	959.94
20.	सि क्किम	516. 00	495.47	2045 .00	2045.00	720. 38	642.69	1754 .38	1024.67	4485 .06	300.00
21.	तमिल नाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.26	650. 49	0.00	2019 .665	481.64
22.	तेलंगा ना	2517 .00	2517.00	2050 .00	2050.00	3114 .46	3114.46	5169 .00	5169.00	1379 7.00	0.00
23.	त्रिपुरा	201. 74	201.74	607. 53	607.53	1294 .71	1194.71	4226 .39	2399.59	4151 .82	0.00
24.	उत्तरा खंड	927. 426	927.43	832. 71	832.71	1135 .82	1041.66	1353 .63	0.00	1829 .90	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	100. 65	100.65	306. 02	12.05	964. 05	0.00	0.00	0.00

26.	पश्चिम बंगाल	4041.14	4041.14	0.00	0.00	4186.50	3873.98	4744.40	2017.63	3549.61	0.00
कुल		79969.546	74678.345	92324.57	85291.21	97649.2	81658.84	117210	36165.29	117057	5752.27

* अन्तिम

जनजातीय उप-योजना/प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जारी की गई निधियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता										प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना						वर्ष 2025-26 में एसएनए स्पर्श पर समाप्त बिल								
		2013-14	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25*			
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति		उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	कुल निर्मुक्ति	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त हुआ	
1	आंध्र प्रदेश	5789.00	2937.82	2937.82	3500.00	3500.00	5000.42	5000.42	3624.77	3624.77	5617.39	5617.39	12470.50	5478.41	4954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.83	2211.83	9224.29	9224.29	7015.50	1775.70	733.68	733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	6563.63	1788.59	1788.59	5844.00	5844.00	3407.80	3407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2710.08	2710.08	4578.76	4578.76	8743.02	8743.02	11538.22	11538.22	7182.38	7182.38	5186.19	3591.19	596.54	
4	बिहार	0.00	403.00	0.00	1368.26	0.00	743.74	595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	774.44	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	9478.00	9826.50	9826.50	10809.64	10809.64	11717.82	11717.82	14327.57	14327.57	10342.65	10342.65	9415.53	9415.53	8769.06	8769.06	15595.8	13215.86	23021.82	23021.82	7011.84	7011.84	0.00	0.00	0.00	0.00
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68	455.68	559.09	559.09	352.31	352.31	0.00	0.00	724.26	710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	8448.00	10382.74	10382.74	10566.50	10566.50	9488.00	9488.00	10270.41	10270.41	11765.38	11765.38	8975.55	8975.22	10786.40	10786.40	15916.78	7428.46	19401.76	19401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1768.00	997.99	997.99	475.00	475.00	1959.39	1959.39	2291.20	2291.20	3628.00	3628.00	2394.18	2394.18	1367.00	1367.00	377.03	377.03	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75	
10	जम्मू और कश्मीर	1702.41	0.00	0.00	2000.00	2000.00	3671.61	3671.61	3626.50	3626.50	3749.80	3749.80	4509.00	4509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.39	932.39	599.14	599.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.53	470.53	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	12187.00	9571.11	9571.11	10000.00	10000.00	9820.75	9820.75	11372.49	11372.49	8564.52	8564.52	6201.49	6201.49	7049.64	2168.98	6531.79	0.00	6915.28	6915.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	2471.00	3000.00	3000.00	4370.00	4370.00	5100.00	5100.00	5955.37	5955.37	5347.76	5347.76	7434.00	7434.00	0.00	0.00	2139.90	2139.90	937.48	937.48	840.70	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14	केरल	549.00	530.00	530.00	357.50	357.50	808.09	808.09	808.43	808.43	335.00	335.00	0.00	0.00	459.15	459.15	0.00	0.00	61.19	61.19	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	मध्य प्रदेश	17525.00	15274.22	15274.22	11501.21	11501.21	19236.61	18922.54	22828.70	22315.82	16968.97	16713.29	13415.25	13389.83	0.00	0.00	12268.76	12268.76	27694.54	20375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	महाराष्ट्र	7728.00	11726.18	11726.18	12514.91	12514.91	9547.00	9547.00	13760.38	13760.38	13802.57	9058.95	11929.09	9016.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13485.50	10105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	मणिपुर	1581.90	1118.00	1118.00	1100.00	1100.00	2260.00	2260.00	3790.38	3790.38	5442.48	5442.48	1434.02	1433.82	0.00	0.00	427.98	425.18	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.20	2739.20	3788.00	2749.56	328.25	44.16	0.00	0.00	3342.30	1290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	1220.00	3140.00	3140.00	1236.22	1236.22	580.83	580.83	1818.61	1818.61	1112.009	1112.009	1468.00	1468.00	934.01	
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.00	3225.00	2951.12	2951.12	2846.14	2846.14	886.53	886.53	2233.97	2233.97	0.00	0.00	3827.44	3827.43	1926.73	
21	ओडिशा	13321.00	14925.04	14925.04	14728.52	14728.52	11806.27	11806.27	11975.00	11975.00	17553.22	17553.22	8691.18	8418.84	9010.42	8316.68	2771.68	2771.68	1001.24	1001.24	3044.42	1380.15	0.00	0.00	1423.66	
22	राजस्थान	8377.00	8822.04	8822.04	10190.00	10190.00	11072.90	11072.90	10051.83	10051.83	10327.93	10327.93	11461.41	10739.91	8662.66	7974.61	7224.71	4600.93	15269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	437.00	520.25	520.25	353.00	353.00	1497.62	1497.62	5986.00	5986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	651.00	217.33	217.33	0.00	0.00	600.00	598.83	894.10	894.10	315.00	315.00	450.56	450.36	377.47	377.47	285.32	251.95	285.62	211.39	855.805	854.27	461.37	0.00	662.44	
25	तेलंगाना	0.00	3541.00	3541.00	4000.00	4000.00	3845.35	3845.35	4493.55	4493.55	2850.32	2850.32	5361.29	5361.29	4191.00	4191.00	2262.18	2262.18	1681.04	1681.04	0.00	0.00	1646.00	1646.00	0.00	
26	त्रिपुरा	2102.10	1183.94	1183.94	2400.07	2400.07	1345.76	1345.76	1649.77	1649.77	1294.38	1294.38	1362.97	1362.97	1173.30	1173.30	631.78	631.78	904.48	899.99	2737.23	2425.01	0.00	0.00	0.00	
27	उत्तराखंड	139.60	805.83	805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	679.00	1012.88	1012.88	600.00	600.00	757.80	747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	0.00	697.79	697.79	905.51	905.51	121.92	121.92	458.35	458.35	0.00	0.00	779.91	0.00	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	4181.36	5730.00	5730.00	6233.00	6233.00	5995.50	5995.50	5397.11	5397.11	5833.41	5833.41	5862.58	5862.58	3746.00	3746.00	0.00	0.00	3495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	10500.00	10399.37	10399.37	11321.71	11321.71	111848.86	111848.86	11950.23	11950.23	13480.00	13480.00	13456.20	121818.94	79536.82	61268.40	78152.21	58092.21	13518.64	60365.88	14993.04	12953.82	12619.00	10532.62	5584.13	

* अन्तिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2025-26 के दौरान जारी की गई निधि का ब्यौरा

राज्य	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-25*	2025-26 (दिनांक 12.02.2026 तक*)
आंध्र प्रदेश	3,07,10,906	86,51,254	21,83,70,895	4,31,52,446	93,96,675	8,76,354	1,01,57,218	5,02,080	1,62,28,664	1,83,01,307	92,19,195	2,49,08,336	1,33,43,336
अरुणाचल प्रदेश	6,84,27,681	4,92,47,073	95,69,894	4,56,05,089	42,88,501	7,11,344	3,55,687	2,79,297	2,37,993	2,13,90,896	2,05,73,970	6,39,09,130	4,89,16,036
असम	1,73,42,416	1,59,87,425	57,85,170	2,30,66,060	84,66,303	2,86,52,147	62,13,405	4,06,15,646	1,85,12,478	2,14,46,016	1,21,74,669	2,84,47,458	2,15,59,020
छत्तीसगढ़	1,39,30,940	88,69,348	16,20,270	1,05,60,168	12,48,059	4,82,240	1,59,615	4,9,00,346	1,30,36,874	1,38,41,651	1,40,64,345	2,50,83,435	44,36,253
दिल्ली	-	15,11,290	-	9,07,171	17,14,742	5,40,869	-	3,16,151	4,28,775	8,31,450	-	17,41,684	5,83,764
गुजरात	15,43,78,353	21,55,91,452	17,55,70,599	29,69,86,778	85,62,559	2,40,11,522	1,78,88,100	1,20,98,347	1,04,03,047	2,84,73,189	2,99,16,753	3,38,78,601	2,70,65,175
हिमाचल प्रदेश	1,53,07,965	1,70,74,044	-	2,77,33,860	51,09,636	2,01,15,712	1,79,53,743	2,24,25,259	1,31,54,561	2,26,02,270	4,37,21,847	5,78,27,196	40,78,917
जम्मू और कश्मीर	18,49,380	40,35,911	-	-	19,68,601	9,68,822	15,87,901	4,63,377	2,67,910	3,67,62,910	3,67,62,30	49,27,900	43,750

तमिळुडु	1,28,09,198	35,09,519	11,81,790	70,11,019	42,04,531	3,03,299	3,689,752	1,17,03,473	2,70,30,967	2,57,29,289	3,789,10,022	1,89,10,3	21,24,994
तेलंगाणा	23,72,423	4,34,31,780	5,00,52,136	13,57,62,421	98,67,085	3,53,63,885	10,96,4,81,754	5,56,6,64,219	5,99,9,99,477	3,96,97,708	9,08,03,209	2,08,03,209	43,54,111
त्रिपुरा	1,07,370	17,15,310	15,82,470	66,02,040	32,61,804	57,71,765	46,3,54,479	3,1,56,271	9,5,68,845	4,2,08,501	1,86,63,129	1,86,63,129	32,78,446
उत्तर प्रदेश	16,83,981	69,04,581	22,18,403	34,48,897	67,43,175	-	-	1,12,22,937	3,2,20,666	6,1,49,490	5,1,02,760	1,40,36,096	42,13,639
उत्तराखंड	90,24,302	1,18,66,736	17,66,858	1,12,63,873	37,42,689	1,33,81,104	15,58,8,54,462	4,4,22,488	6,1,1,2,92,690	4,4,30,032	98,68,091	98,68,091	8,49,106
पश्चिम बंगाल	3,60,57,388	4,52,52,818	3,77,91,760	3,15,33,450	37,43,775	9,5,66,551	6,44,83,050	4,77,60,521	5,76,09,937	4,77,79,436	11,690,18,273	13,90,18,273	98,41,635
कुल	83,00,76,547	20,28,800	75,05,00,000	1,20,00,00,000	1,19,94,23,582	1,14,00,00,000	85,04,00,174	59,50,00,500	89,25,00,500	1,09,25,00,000	1,20,83,71,147	1,75,00,00,000	97,13,89,128

* अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक के लाभार्थियों का ब्यौरा

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26*
आंध्र प्रदेश	12268	61477	51936	10065	17631	16645	16650	25750	35842	39963	41324	41324
अरुणाचल प्रदेश	43386	16552	88711	48892	23697	200478	141222	12893	28965	233564	25933	13038
असम	8420	53064	73409	48797	61015	81279	58514	82610	97733	44174	86573	-
छत्तीसगढ़	1540	100	1834	1840	1743	1745	8762	16317	9894	11818	11665	-
दिल्ली	63	-	92	48	50	50	50	50	50	50	-	-
गुजरात	138900	32671	248545	58031	80140	83935	90771	106142	59723	44321	69650	41908
हिमाचल प्रदेश	1215	-	1215	1154	1206	1134	1386	1391	1437	1292	1292	-
जम्मू और कश्मीर	140	-	-	366	664	-	140	140	140	140	-	-
झारखंड	135536	69003	177506	236837	242841	246172	158836	144326	167700	170439	138865	44330
कर्नाटक	47950	56803	21544	84427	63876	60805	52867	54576	47461	49330	70359	42102
केरल	92564	137110	82022	-	48233	111038	77798	82752	92075	93886	91596	23681
लद्दाख	-	-	-	-	-	172	947	380	502	606	5025	-
मध्य प्रदेश	728	23066	15932	3336	2975	3124	4081	4235	4408	4652	3341	1450
महाराष्ट्र	6008	200	4441	1816	2779	3588	14045	24762	26134	27938	37040	10709
मणिपुर	2722	2976	4093	2761	8256	26676	7658	19138	20807	15357	16043	900
मेघालय	70783	46385	41904	105036	79447	74544	87620	128513	109330	65571	120752	71900
मिजोरम	1463	-	2411	3197	3414	2938	2466	1474	6769	6415	6514	-
नागालैंड	100	-	-	-	50	-	-	-	-	-	57	-
ओडिशा	126276	42185	51867	59292	65006	71441	70885	72080	77362	33511	46559	19369
राजस्थान	369	200	267	717	1079	1016	1519	1919	1526	2084	1319	562

सिक्किम	90	258	190	316	301	301	301	301	279	274	174	-
तमिलनाडु	1234		5386	8934	1003		8082					
	34	100	2	4	82	82682	3	98659	92562	79911	95909	62645
तेलंगाना	44	150	2689	445	93	393	418	899	8006	7989	8333	7995
त्रिपुरा	100	100	200	200	200	200	821	927	882	765	755	494
उत्तर प्रदेश	3459	150	247	242	243	242	242	242	242	234	234	100
उत्तराखंड	821	2614	2839	1480	1304	1707	493	308	182	199	127	-
पश्चिम बंगाल	6716	8895	1652	1083	1000	10260	9617	12487	13304	13663	13099	
	7	5	5	33	94	8	8	3	4	7	0	42943
	8855	6341	9442	8669	9067	11749	9754	10056	10230	10711	10104	42545
कुल योग	46	19	81	72	19	13	93	57	55	20	29	0
* लाभार्थी अनंतिम हैं												

एनएसटीएफडीसी और लाभार्थियों द्वारा संवितरित ऋण राशि: (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25			
		राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या	राशि	लाभार्थी की संख्या		
																							*		
1	आंध्र प्रदेश	0	0	33 13.14	1010	69 1.3	155	29 61.24	598	78 1.7	2	139	12 85.03	276	50 22.24	12533	11 27.19	2006	41 19.8	13669	55 51.49	27221	60 39.21	12899	
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 5	7501							0	0		0		
3	अरुणाचल प्रदेश	46 53	2350	18 63.6	36546	10 16.73	12306	68 9.5	10410	32 4.2	5	3773		97 0.5	2	435	81 4.0	69	1835	25 77	13	17 88	17		
4	असम	46	170	10	57	17 2.3	2982	19 06	123	4.9	2	12	58 2	167	5	2					40 02	43	24 24	21	
5	बिहार																11 48	955			3 6	3	0	0	
6	छत्तीसगढ़	20 53	8	93 6.8	1	344	50 6.4	7	307	13 48.85	553	53 3.5	5	363	93 2.1	6	3787	19 7.4	99	934	22 7.2	9	503	49 9.4	4837
7	दादरा एवं नगर हवेली																				4 5	6	0	0	
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0 2	1	0	0	
9	गुजरात	23 53 39	12341	21 37.84	12192	38 48.22	24883	47 39.9	10812	23 29.32	7485	39 4.7	5	98	14 42.03	8230	20 22.5	11053	10 19.61	5224	28 10.12	11848	49 31.39	18461	
10	हरियाणा									0 4	1	1											0	0	
11	हिमाचल प्रदेश	94 01	2117	11 32	23	42 3	2069	79 83	61	82 3	65	40 83	75	13 4	2	14	2	56 9	120	2 9	2	30 6	33		
12	जम्मू और कश्मीर	0 6	9	27 1	169	17 2.5	150	37 0.0	5	12 49.5	195	44 6.2	5	135	40 8.7	5	175	13 62.87	410	12 72.54	535	29 5.1	106	11 02.49	409
13	झारखंड	41 67	35	20 4.5	606	41 1.9	3908	4 4.0	5	85 7	7	5	63 3.1	7	10 01.6	10752	14 22	15523	3	756	68 4.2	5	1703	24 7.4	135
14	कर्नाटक	25 00	1010	0	0	0	0	0	0	26 89	34	47 38	1911	31 09	08	3014	13 69.31	962	15 82.42	1927	85 3.4	1	1003	18 54.44	1368
15	केरल	95 18	109	83 92	96	12 9.9	152	95 72	88	14 3.3	9	107	12 8.3	89	29 8.7	6	192	63 7.3	436	72 0.7	3	666	68 4.8	567	
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											73 53	13	
17	मध्य प्रदेश	69 2.9	9	68 7.8	2	537	10 84.7	21 57.942	2	20 14.2	2209	41 76.26	13282	33 60.1	27 55.01	2546	53 92.05	10857	17 59.58	828	16 60.72	1582			
18	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	9 4	3	11	11 67.56	687	37 27	822	20 9.0	65 8.1	1204	25 23.52	1528	56 7.7	1005		

पीवीटीजी के विकास के तहत जारी की गई निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-1	2014-1	2015-1	2016-1	2017-1	2018-1	2019-2	2020-2	2021-2	2022-2	2023-2	2024-25								
		4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	उप योगिता	उप योगिता							
		जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया	जा प्रमा री ण प की त्र(यू गई सी) नि प्रस्तु धि त कि या गया							
1	आंध्र प्रदेश	3000.00	300.00	200.00	200.00	3240.00	5105.00	2076.00	2076.00	1837.00	1837.00	3713.43	1245.51	258.60	1829.60	1223.83	1645.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	20.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.86	157.99	29.1	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	1400.00	140.00	223.75	222.09	1809.63	1230.00	12389.50	10851.50	10511.35	1319.32	989.32	996.90	610.86	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	1000.00	100.00	109.10	109.81	8910.91	898.12	779.06	39.67	390.40	604.00	429.95	552.20	761.80	405.62	1731.20	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	झारखंड	0.00	0.00	301.13	301.33	1627.34	3120.00	2047.03	3295.79	847.00	847.00	177.29	177.93	1696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कर्नाटक	0.00	0.00	8.58	8.58	836.30	136.00	467.00	46.00	460.00	1933.01	438.46	661.17	467.19	1439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केरल	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	4500.00	450.00	4272.94	427.91	4491.92	1046.00	82995.46	798.546	7998.09	5642.08	8064.89	6158.10	2188.11	1317.52	2888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	महाराष्ट्र	2610.00	26100.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	2077.00	1226.25	1230.26	1230.26	2510.00	1128.51	1411.66	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	100.00	100.00	47.50	47.50	100.00	100.00	329.00	195.50	1157.55	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	200.00	200.00	250.00	250.00	3373.92	3373.92	1164.00	1297.00	3626.00	3626.00	976.38	976.38	1202.00	1202.00	1197.00	792.24	1796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	राजस्थान	700.00	700.00	150.00	150.00	1076.09	1076.09	1331.00	1038.00	1008.00	1008.00	968.10	968.10	914.24	914.24	706.17	706.17	1120.63	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	तमिलुडु	200.00	200.00	128.35	128.35	1118.89	1118.89	3055.00	1770.75	1770.75	0.00	0.00	819.48	745.68	551.08	549.05	1967.81	1967.81	907.70	898.08	0.00	0.00	2723.11
15	तेलंगाना	0.00	0.00	600.00	600.00	1439.04	1439.04	1139.00	778.00	533.00	533.00	538.50	538.50	1460.50	1460.50	1193.04	1193.04	1508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2746.87
16	त्रिपुरा	950.00	950.00	826.54	826.54	895.56	895.56	2250.00	2305.00	2305.00	789.53	1960.82	1960.82	231.43	231.43	1481.71	1418.53	1402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.95
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.48	130.00	565.86	565.86	489.53	45.23	295.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पश्चिम बंगाल	1300.00	1300.00	0.00	0.00	447.60	447.60	895.00	330.75	843.42	843.42	437.47	437.47	519.40	519.40	0.00	0.00	665.95	231.59	0.00	0.00	0.00	1631.05
	कुल योग	20235.00	20235.00	1799.99	1799.99	21354.39	21354.39	33110.99	2394.28	23357.27	23357.27	2562.90	2499.00	21192.63	1432.00	10832.00	16878.49	13717.93	4275.95	0.00	0.00	0.00	7308.98

एमपीसी के लिए जारी की गई निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा (करोड़ रुपये में)

राज्य	वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियां	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया	वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियां	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया	वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियां	उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया	2025-26 के दौरान एसएनए स्पर्श पर समाप्त बिल
आंध्र प्रदेश	14.97	14.97	5	4.9	27.52	-	0.80
बिहार	-	-	-	-	2.1	-	0
छत्तीसगढ़	8.52	7.9	-	-	-	-	6.47
गुजरात	1.66	-	4.37	-	-	-	0
झारखंड	0.62	0.62	1.5	-	16.42	-	0
कर्नाटक	3.33	3.33	10.26	10.26	15.4	14.47	0
केरल	2.29	-	-	-	-	-	0.88
मध्य प्रदेश	25.99	20.82	-	-	-	-	11.30
महाराष्ट्र	12.47	12.47	5	4.65	27.56	-	10.36
मणिपुर	-	-	-	-	3.3	-	0
ओडिशा	12.68	12.68	23.92	1	-	-	1.65
राजस्थान	3.33	3.33	3.44	1.91	-	-	1.29
तमिलनाडु	5.2	5.2	20.67	15.24	-	-	5.07
तेलंगाना	2.91		13.24		-	-	4.36
त्रिपुरा	4.57	4.57	7.5	7.5	-	-	5.27
उत्तर प्रदेश	0.83	-	-	-	-	-	0
उत्तराखंड	0.62	0.62	4.78	1.59	1.8	-	0.87
कुल	99.99	86.51	99.68	47.05	94.1	14.47	48.30

देश भर में डीएजेजीयू के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं (दिनांक 21.01.2026 तक):

क्र.सं.	मंत्रालय	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2024-2028)	मार्च 2026 तक का लक्ष्य	प्रगति
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पीएमएवाई-जी-आवासन	20 लाख	6 लाख	पूर्ण हुए मकान: 7,00,800
		पीएमजीएसवाई-सड़कें	25,000 किमी सड़क	7,500 गाँव	कुल 710 सड़कें स्वीकृत (2,411.25 किमी): <ul style="list-style-type: none"> जम्मू और कश्मीर - 62 सड़कें (296.301 किमी) छत्तीसगढ़ - 532 सड़कें (1,824.08 किमी) राजस्थान - 116 सड़कें (290.875 किमी)
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	सभी गांवों को संतृप्त किया जाएगा	1,500 गाँव	संतृप्त गाँव: 27,362
3	विद्युत मंत्रालय	नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस	2.35 लाख आवास	70,000 आवासों को विद्युतीकृत किया जाएगा	विद्युतीकृत: 65,249 (आवास और सार्वजनिक संस्थान)
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना- पीएम सूर्या घर योजना	2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप का प्रावधान		स्वीकृत: 4,099 आवास (100 मणिपुर में और 3,999 अरुणाचल प्रदेश में)
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचल चिकित्सा इकाइयां	1,000 एमएमयू	100 एमएमयू	154 एमएमयू संचालित

6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र-पोषण 2.0 (आईसीडीएस)	2000 नए आंगनवाड़ी केन्द्र	400 नये	445 आंगनवाड़ी केन्द्र चालू किए गए
7	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1,000 छात्रावास	300 छात्रावास	311 छात्रावासों का शिलान्यास किया गया
8	संचार मंत्रालय	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)	5,252 गाँव	1500 गाँव	कवर किए गए गाँव: 3,513
9	पर्यटन मंत्रालय	उत्तरदायी पर्यटन (स्वदेश दर्शन)	1000 गृह-प्रवास (होम स्टे)	100 गृह-प्रवास (होम स्टे)	आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम में 17.7 करोड़ रुपये की लागत वाली गृह-प्रवास (होम स्टे) परियोजना आने वाली है।
10	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	एफआरए पट्टाधारकों को सतत कृषि सहायता (~ 2 लाख)	60000 लाभार्थी	1.73 लाख पट्टा धारक संभावित लाभार्थी के रूप में पहचाने गए हैं।
11	मत्स्य पालन विभाग	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर	3000 लाभार्थी	2025-26 में कोई प्रगति सूचित नहीं की गई 2024-25 में सूचित किए गए लाभार्थी - 882 लाभार्थी
	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता	2550 लाभार्थी	वर्ष 2025-26 में विभाग ने 6 राज्यों को 8 करोड़ रुपये जारी किए
12	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना	(i) जनजातीय जिलों में 30 कौशल केंद्र	9 कौशल केंद्र और 300 वन धन विकास केंद्रों का प्रशिक्षण	देश भर में 30 कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 2944 लाभार्थी नामांकित हैं

			(ii) 1000 वीडीवीके और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण		प्रशिक्षण अभी शुरू होना बाकी है।
13	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ - राष्ट्रीय आयुष मिशन		700 पोषण वाटिकाएँ	ईएमआरएस में पोषण वाटिका कार्यान्वयनाधीन है
14	पंचायती राज मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	एफआरए से संबंधित सभी ग्राम सभाओं, उप-मंडल और जिलों में एफआरए जागरूकता कार्यक्रम		कुल प्रशिक्षित किये गए अनुसूचित जनजाति प्रतिभागी- 46,19,662
15	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी - उज्ज्वला योजना	25 लाख एलपीजी कनेक्शन	7.5 लाख आवास	मुख्य योजना की मंजूरी लंबित है

डीएजेजीए के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहलें

योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत निधि (करोड़ में)	जारी की गई निधि (करोड़ में)
आश्रम स्कूल	6,773	3,506.43	587.81
टीएमएमसी	76	77.70	41.707
एफआरए प्रकोष्ठ	433	63.19	40.07
सीएफआर प्रबंधन योजनाएँ	620	98.60	84.20
सीओसी	17	48.66	37.13
एससीडी जागरूकता + आशा मानदेय + टीओटी निधि		17.77	4.092

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा दिनांक 21.01.2026 तक (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्ति
क	ख	च
1	आंध्र प्रदेश	41.15
2	अरुणाचल प्रदेश	11.24
3	असम	11.86
4	बिहार	6.82
5	गुजरात	87.92
6	हिमाचल प्रदेश	.47
7	जम्मू और कश्मीर	39.21
8.	कर्नाटक	28.77
9.	केरल	7.79
10.	मध्य प्रदेश	67.98
11.	महाराष्ट्र	134.33
12.	मणिपुर	9.35
13.	नागालैंड	4.84
14.	ओडिशा	12.54
15.	राजस्थान	83.74
16.	सिक्किम	5.85
17.	तमिलनाडु	2.31
18.	त्रिपुरा	2.30
19.	उत्तर प्रदेश	4.44
20.	पश्चिम बंगाल	.15
21.	छत्तीसगढ़	18.66
22	झारखंड	22.43
23.	उत्तराखंड	1.46
24.	तेलंगाना	43.19
	कुल	648.80

वीडीवीके की स्थापना के लिए स्वीकृत निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडिीके की कुल संख्या	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	415	6162.90
2	अरुणाचल प्रदेश	106	1590.00
3	असम	471	7065.00
4	छत्तीसगढ़	139	2085.00
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	15.00
6	गोवा	10	150.00
7	गुजरात	200	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	55.50
9	जम्मू और कश्मीर	100	1457.00
10	झारखंड	146	2174.70
11	कर्नाटक	140	2087.40
12	केरल	44	597.25
13	लद्दाख	10	150.00
14	मध्य प्रदेश	126	1890.00
15	महाराष्ट्र	273	4095.00
16	मणिपुर	204	3051.80
17	मेघालय	169	2534.10
18	मिजोरम	259	3806.55
19	नागालैंड	347	5203.40
20	ओडिशा	170	2479.25
21	राजस्थान	479	7135.60
22	सिक्किम	80	1169.05
23	तमिलनाडु	8	120.00
24	तेलंगाना	17	255.00
25	त्रिपुरा	57	776.00
26	उत्तर प्रदेश	25	359.55
27	उत्तराखंड	12	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	329.35
	कुल	4034	59870.00

पीएम जनमन वीडिीके की स्थापना के लिए स्वीकृत निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत वीडिीके	स्वीकृत निधियां (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2.8
2	आंध्र प्रदेश	73	307.55
3	छत्तीसगढ़	16	119.75
4	गुजरात	21	52.5
5	झारखंड	35	143.8
6	कर्नाटक	33	91.8
7	केरल	7	26.85
8	मध्य प्रदेश	83	254.5
9	महाराष्ट्र	40	181.2
10	मणिपुर	2	30
11	ओडिशा	43	178.4
12	राजस्थान	51	442.1
13	तमिलनाडु	37	120.15
14	तेलंगाना	25	73.05
15	त्रिपुरा	30	127.5
16	उत्तराखंड	9	31.7
17	उत्तर प्रदेश	5	15.95
18	पश्चिम बंगाल	5	13.9
	कुल	516	2213.5

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधि				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	455.00	432.75	219.13	125.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	184.15	0	0.00	48.63	150.00
4	असम	0.00	0	0.00	0.00	270.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	189.04	113.43	250.00	1100.00
7	गोवा	202.50	111.75	0.00	50.57	200.00
8	गुजरात	0.00	0	0.00	0.00	250.00
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	114.1	0	0.00	125.00
10	जम्मू और कश्मीर	206.51	200	170.84	770.85	100.00
11	झारखंड	0.00	13.92	164.96	417.03	200.00
12	कर्नाटक	26.35	184.25	0.00	0.00	200.00
13	केरल	0.00	0	0.00	0.00	300.00
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15	मध्य प्रदेश	447.00	484.58	0.00	143.08	600.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0.00	250.00
17	मणिपुर	0.00	0	0.00	0.00	140.00
18	मिजोरम	1178.22	766.65	53.75	550.00	723.14
19	नागालैंड	0.00	85	205.000	400.00	600.00
20	ओडिशा	503.00	644.76	313.15	600.00	600.00

21	राजस्थान	8.89	215.34216	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	144.00	273.3	0.00	0.00	200.00
23	तमिलनाडु	0.00	135.09	0.00	25.00	300.00
24	तेलंगाना	375.75	548.95	0.00	0.00	1300.00
25	त्रिपुरा	0.00	44.29384	0.00	25.00	300.00
26	उत्तर प्रदेश	35.15	89.25	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28	मेघालय	0.00	66.224	0.00	0.00	100.00
29	उत्तराखंड	2183.48	1400.75	0.00	948.01	793.86
	कुल	6000.00	6000.00	1240.26	4353.17	9000.00

* अनंतिम

एनईएसटीएस की स्थापना से लेकर दिनांक 28.02.2026 तक ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए वर्ष-वार जारी की गई निधियां

लाख रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)
1	आंध्र प्रदेश	6,199.12	14,591.28	12,600.57	10,795.05	23,669.35	22,990.25
2	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	200.24	119.54	1,010.87	693.91	2,021.21	4,504.37
3	असम (पूर्वोत्तर)	750.00	1,800.00	1,433.65	2,732.67	10,654.29	11,458.52
4	बिहार	10.00	-	-	8.95	34.12	1,948.30
5	छत्तीसगढ़	6,968.12	13,259.66	19,435.93	15,888.89	86,649.55	44,234.16
6	दादरा और नगर हवेली	95.70	252.55	568.22	163.45	353.32	458.57
7	एनईएसटीएस मुख्यालय	1,406.04	2,523.79	4,438.96	14,129.47	9,376.35	427.90
8	गुजरात	4,755.86	1,060.00	10,088.95	15,667.55	27,444.15	23,065.08
9	हिमाचल प्रदेश	255.06	599.11	483.18	829.76	1,616.71	1,505.72
10	जम्मू और कश्मीर	-	392.40	1,200.00	891.40	824.19	1,564.64
11	झारखंड	2,205.73	11,309.20	23,562.27	23,915.13	64,305.31	58,776.47
12	कर्नाटक	2,495.83	3,672.86	1,768.84	2,677.67	7,933.24	4,416.73
13	केरल	-	229.56	1,515.66	249.00	1,252.21	1,493.90
14	लद्दाख	-	10.00	450.00	800.00	17.41	400.00
15	मध्य प्रदेश	14,459.36	3,560.00	31,817.79	13,157.19	37,339.69	42,298.44
16	महाराष्ट्र	2,787.16	4,393.74	12,919.16	8,525.91	30,489.87	20,122.96
17	मणिपुर	1,268.00	398.08	2,369.98	3,044.92	2,397.58	15,755.94
18	मेघालय (पूर्वोत्तर)	1,123.45	1,100.00	800.00	21,014.66	31,942.72	11,403.80
19	मिजोरम	3,283.73	6,085.41	2,094.54	1,242.52	14,619.30	3,501.15
20	नागालैंड	5,885.51	9,481.60	557.71	18,377.12	698.27	855.10
21	ओडिशा	6,174.27	10,648.82	28,164.31	48,934.80	64,965.47	60,895.45

22	राजस्थान	12,944.1 7	18,214.7 1	19,463. 30	13,687. 79	14,322. 63	12,905.70
23	सिक्किम	800.3 3	1,037.8 8	1,047. 35	1,118. 83	1,058. 36	1,296.03
24	तमिलनाडु	1,225.1 4	1,190.6 2	1,098. 78	1,099. 80	1,738. 95	2,797.39
25	तेलंगाना	9,517.3 0	19,695.5 2	12,794. 53	14,276. 17	16,813. 70	16,063.43
26	त्रिपुरा	6,064.8 9	5,715.4 4	6,435. 19	6,670. 35	11,728. 87	17,687.35
27	उत्तर प्रदेश	386.6 8	337.4 9	596. 23	624. 14	1,384. 63	1,434.71
28	उत्तराखंड	321.2 8	598.3 9	474. 95	1,537. 53	3,880. 32	2,777.18
29	पश्चिम बंगाल	2,062.4 5	-	2,303. 67	1,869. 70	1,789. 50	900.00
कुल		93,645.4 2	1,32,277.6 7	2,01,494. 59	2,44,624. 33	4,71,321. 28	3,87,939.25

एनईएसटीएस की स्थापना से लेकर अब तक संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईएमआरएस छात्रों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (06.03.2026 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	4609	5795	7087	8810	9891	10710
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	220	290	451	734	932
3.	असम	480	480	एनआर	एनआर	एनआर	300
4.	बिहार	-	-	-	-	एनआर	286
5.	छत्तीसगढ़	11519	15581	19123	21943	24767	27411
6.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	120	179	238	300	346	408
7.	गुजरात	10974	10973	10985	11066	11525	11878
8.	हिमाचल प्रदेश	422	552	673	794	902	1013
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	294	577	900	1181
10.	झारखंड	3084	3051	3201	3202	3257	8380
11.	कर्नाटक	3638	4027	4185	4236	4523	4437
12.	केरल	520	560	697	862	969	1065
13.	मध्य प्रदेश	20657	23393	24281	23084	25056	25457
14.	महाराष्ट्र	6272	7062	8048	9010	10092	11361
15.	मणिपुर	1439	1431	1440	1435	1440	1723
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	308
17.	मिजोरम	856	1061	1250	1197	1892	2399
18.	नागालैंड	640	671	681	712	744	747
19.	ओडिशा	6711	7317	8495	9625	11530	13392
20.	राजस्थान	5938	7224	8222	8375	9603	10885
21.	सिक्किम	987	1008	1131	1254	1248	1250
22.	तमिलनाडु	2506	2867	2488	2226	2490	2909
23.	तेलंगाना	5815	6795	7113	8194	9282	10182
24.	त्रिपुरा	1824	1899	1984	1994	2094	2476

25.	उत्तर प्रदेश	495	480	617	652	890	1056
26.	उत्तराखंड	514	765	752	963	1105	1261
27.	पश्चिम बंगाल	400	2072	NR	2879	3056	3157
	कुल योग	90520	105463	113275	123841	138336	156564
